भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2669

(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

खाद्य वितरण प्रणाली का एकाधिकार

2669. श्री राजा राम सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 9 जनवरी, 2025 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी "एनआरएआई टु स्यू जोमैटो एंड स्विगी फॉर अटैम्पटिंग टु मोनोपलाइज द फुड डिलीवरी मार्केट" शीर्षक वाली खबर का कोई संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार का ऐसी प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए नियामक उपाय शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने इन प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध व्यवसाय और भागीदारों की प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में इस डेटा संग्रह से उत्पन्न खतरों पर विचार किया है;
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन गिग प्लेटफॉर्म ऐप्स द्वारा एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और
(छ) क्या सरकार का स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार है जिन्होंने प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को अपनाया है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के नियमों का उल्लंघन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), धारा 3 (प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों का प्रति) या धारा 4 (प्रभुत्व स्थिति के दुरुपयोग का निषेध) के किसी भी कथित उल्लंघन की जांच या तो स्वप्रेरणा से या-

जारी.....2/-

(i) किसी व्यक्ति, उपभोक्ता या उनके संघ या व्यापार संघ से, विनियमों द्वारा यथा निर्धारित तरीके से और शुल्क के साथ कोई सूचना प्राप्त होने पर; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा उसे भेजे गए संदर्भ पर।

सीसीआई अधिनियम के तहत प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं या प्रभुत्व के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली प्राप्त सूचना(ओं) की जांच करता है और जहां भी प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है, मामले की जांच की जाती है। जहां जांच के बाद, सीसीआई यह पाता है कि धारा 3 में संदर्भित कोई समझौता या प्रभुत्व की स्थिति में किसी उद्यम की कार्रवाई, धारा 3 या धारा 4, जैसा भी मामला हो, का उल्लंघन है तो वह अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार मौद्रिक जुर्माना लगाने सहित आदेश पारित कर सकता है।

क्विक-कॉमर्स के संबंध में एक सूचना, बूंदी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड और जेप्टो मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीडी) के समक्ष फाइल की गई है।

(घ): सीसीआई प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के विभिन्न प्रावधानों के तहत बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करता है।

उपभोक्ता मामले विभाग ने ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को अधिसूचित किया है। ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-कॉमर्स संस्थाओं की ज़िम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं और ग्राहक शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री ई-कॉमर्स संस्थाओं की देनदारियों को निर्दिष्ट करते हैं।

इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी ई-कॉमर्स इकाई

(i) अपने प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में इस तरह से हेरफेर नहीं करेगी जिससे उपभोक्ताओं पर कोई अनुचित कीमत थोपकर अनुचित लाभ प्राप्त किया जा सके, जिसमें प्रचलित बाजार की स्थिति, वस्तु या सेवा की आवश्यक प्रकृति, कोई असाधारण परिस्थिति जिसके तहत वस्तु या सेवा की पेशकश की जाती है, तथा यह निर्धारित करने में कोई अन्य प्रासंगिक विचार शामिल हो कि क्या वसूला गया मूल्य उचित है।

(ii) एक ही वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव नहीं करेगी या उपभोक्ताओं का मनमाना वर्गीकरण नहीं करेगी, जिससे अधिनियम के तहत उनके अधिकार प्रभावित होंगे।

इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि कोई भी ई-कॉमर्स संस्था अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार के दौरान या अन्यथा कोई अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं अपनाएगी।

उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 30 नवंबर 2023 को "डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023" जारी किए। ये दिशानिर्देश ई-कॉमर्स क्षेत्र में पहचाने गए 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न को संबोधित और विनियमित करते हैं, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली भ्रामक प्रथाओं को रोकना है।

(ङ) और (च): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) डेटा फिड्युसरीज पर उनके कब्जे में या उनके नियंत्रण में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने के लिए दायित्व डालता है, जिसमें उनके द्वारा या उनकी ओर से डेटा प्रोसेसर द्वारा किए गए किसी भी प्रसंस्करण के संबंध में उचित सुरक्षा उपाय करके और अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करना शामिल है। डीपीडीपी अधिनियम ने प्रभाव आकलन करने, आवधिक ऑडिट करने और केवल महत्वपूर्ण डेटा फिड्युसरीज पर डेटा सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति जैसे अतिरिक्त दायित्व डाले। डीपीडीपी अधिनियम डेटा फिड्युसरीज को किसी भी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन या इस कानून के किसी अन्य उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराता है। डेटा फिड्युसरीज की जवाबदेयता को डाटा उल्लंधनों के अधिनिर्णयन और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघनों तथा डाटा संरक्षण बोर्ड द्वारा वित्तीय शास्तियां लगाने के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

(छ): क्विक-कॉमर्स के संबंध में एक सूचना, बूंदी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड और जेप्टो मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में उनके शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

*****